



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फ़ैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-

3663 /

12-1(2)

दिनांक

13/05 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय-

जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/149024/2021

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी./यू.सी.पी./06/18/2023/एफ.सी./1810 दिनांक 16.03.2023 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या-2268/FP/UK/ROAD/149024/2021 दिनांक 29.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-117/16सी० दिनांक 01.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional information detail के क्र०सं०-37 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि-बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/111(2)/18-15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (संलग्नक-1) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि-मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो०नि०वि० देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व०भू०-सामान्य-10 दिनांक 02.12.2010 (संलग्नक-2) में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौड़ाई में वृक्षों की गिनती की गई है। वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौड़ाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	प्रकरण में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 67 (आरक्षित वन भूमि-16, सिविल वन भूमि-28 एवं निजी स्वामित्व/नाप-23) है, जिनमें (0-10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। उक्त वृक्षों का सम्पूर्ण विवरण पार्ट-1 के पैरा-4 में अंकित किया गया है तथा प्रमाण पत्र पैरा-13 में अपलोड किये गये हैं।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	प्रकरण के एवज में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है० रुद्रप्रयाग रिजर्व क०सं०-1 आरक्षित वन का चयन कर वृक्षारोपण योजना, (संलग्नक-3) गूगल मानचित्र, (संलग्नक-4) एवं के०एम०एल० फाईल (संलग्नक-5 ई-मेल द्वारा) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय

(अभियन्ता)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - 3663 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के सबनार्थ प्रेषित।

(अभियन्ता)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्र संख्या 117 / 16सी०
सेवा में,

दिनांक 01 / 05 / 2024

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौटा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/149024/2021)।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/18/2023/एफसी/1810 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का संशोधित विन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है-

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/111(2)/18-15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (प्रति संलग्न-02) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	मुख्य अभियन्ता स्तर-। लो०नि०वि० देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व०भू०- सामान्य-10 दिनांक 02.12.2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौड़ाई में वृक्षों की गिनती की गई है। (प्रति संलग्न-01) वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौड़ाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 67 है, जिसमें (0-10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	वन विभाग से अपेक्षित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(डॉ० इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

- 1 अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फारस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 सहायक अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रुद्रप्रयाग



उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

दिनांक 01/05/2024

पत्र संख्या 1117/16सी०
सेवा में,उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौटा मोटर मार्ग से बसू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/149024/2021)।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/18/2023/एफसी/1810 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का संशोधित बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है-

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	बसू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/111(2)/18-15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (प्रति संलग्न-02) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बसू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	मुख्य अभियन्ता स्तर-। लो०नि०वि० देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व०भू०- सामान्य-10 दिनांक 02.12.2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौड़ाई में वृक्षों की गिनती की गई है। (प्रति संलग्न-01) वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौड़ाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 67 है, जिसमें (0-10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	वन विभाग से अपेक्षित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(इ० इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फारस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शारान।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून: दिनांक : 3 / दिसम्बर, 2018


विषय:

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

- (i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।
- (iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी0 से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं हैं तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.वी.सी. द्वारा न किया जाय।
- (viii) सपस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी0सी0 टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।



सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

क्रमशः...पृष्ठ 2 पर

(x) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी० से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी० से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा० विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी०सी० के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(xi) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात् 07मी० कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी० कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xii) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xiii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी० तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी० से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।


(xiv) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 50 मी० स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xv) प्रदेश में रू० 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी० से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xvi) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।



सहायक अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

भवदीय

(एस०एस० टोलिया)

संयुक्त सचिव

क्रमांक.....पृष्ठ 3 पर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

दिनांक- 02/12/10

पत्रांक- 1715 / 01 व 00-सागान्-10
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (गो/कु0 क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषय:- स्वीकृत गोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौड़ाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री खडक सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौड़ाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौड़ाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ-साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खींचतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी मार्ग निर्माण में वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पडने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी। उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

प्रतिलिपि:- श्री खडक सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र सं0 3553 दिनांक 16.11.2010 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, डि.डी.वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




मावा- (L.A)

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना-बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है० वन भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विवरण। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/149024/2021

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम :- रुद्रप्रयाग रिजर्व क०सं०-३ आरक्षित वन भूमि।
क्षेत्रफल :- सकल-०.९० है०, शुद्ध-०.४५५ है०



G.P.S. Coordinates

	Latitude	Longitude
1-	30°16'12.76"N	78°58'58.07"E
2-	30°16'10.60"N	78°58'58.13"E
3-	30°16'9.53"N	78°58'56.47"E
4-	30°16'9.05"N	78°58'54.19"E
5-	30°16'10.05"N	78°58'53.89"E
6-	30°16'11.88"N	78°58'54.17"E
7-	30°16'12.04"N	78°58'55.57"E

[Signature]
R.O.

[Signature]
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

संलग्नक - (3)

वृक्षारोपण स्थल का नाम - रुद्रप्रयाग रिजर्व कक्ष संख्या-1 **रेषण** क्षेत्रफल- 0.455 है०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 455 पौध

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रू०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	0.455	है०	1118.00	508.69
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि)	0.455	है०	1908.06	868.17
3	ट्री-गार्ड क्रय	455	न०	1556.00	707980.00
5	गड़ढो का खुदान (0.30×0.30×0.45) मी०	455	प्रति सै०	1247.84	5677.67
6	पौधों का मूल्य	455	प्र०सं०	19.00	8645.00
7	कण्टूर नाली खुदान मय सीमांकन सहित	107	प्र०र०मी०	105.83	11323.81
योग- प्रथम चरण					735003.34
द्वितीय चरण					
1	गड़ढा भरान कार्य 0.30×0.30×0.45) मी०	455	प्रति सै०	226.88	1032.30
2	पौधों का मूल्य	455	सं०	2.26	1028.30
3	पौध ढुलान कार्य (साईज 8''×5'')	455	प्रति सै०/प्रति किमी०	234.00	1064.70
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	455	सं०	453.76	2064.61
5	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार)	455	सं०	5.84	2657.20
6	खाद/रसायन	455	सं०	0.35	159.25
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	0.455	है०	1908.06	868.17
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	0.455	ल०सं०	1000.00	1000.00
योग-द्वितीय चरण					15334.53
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	0.455	है०	1908.06	868.17
3	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					6328.17
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव					5460.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव					5460.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव					5460.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव					5460.00


1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख-रखाव					5460.00


1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का नववां वर्ष का रख-रखाव					5460.00


1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख-रखाव					5460.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					
वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख-रखाव					5460.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत- 805806.04
या 805805.00


अनुभाग अधिकारी
रुद्रप्रयाग/पोखरसारी अनुभाग


सि. अधिकारी
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रभाग प्रमुख वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.06.2023 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अनुभाग अधिकारी रूद्रप्रयाग/पोखरसारी एवं वन आरक्षी, रूद्रप्रयाग को साथ में लेकर जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष आरक्षित वन में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है० भूमि का चयन करने हेतु रूद्रप्रयाग रिजर्व कक्ष संख्या-1 का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।


रूद्रप्रयाग/पोखरसारी
अनुभाग


वन आरक्षी
रूद्रप्रयाग


उप-वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग